भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1169

(जिसका उत्तर सोमवार, 11 दिसंबर, 2023/20 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया)

शोधन अक्षमता समाधान

1169. श्री तापिर गावः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा शोधन अक्षमता समाधान की प्रक्रिया को तेज करने और सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) एनसीएलटी और एनसीएलएटी की स्थापना के क्या लाभ हैं; और

(ग) विभिन्न राज्यों को पूंजी-निवेश के लिए प्रदान की गई विशेष वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क): दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी/कोड) एक उभरता हुआ आर्थिक कानून है, और बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, आज की तारीख तक इसमें छह संशोधन किए गए हैं। इनमें कारपोरेट एमएसएमई के लिए त्वरित और लागत प्रभावी दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रदान करने के लिए प्री-पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया (प्री-पैक) ढांचा, धारा 29क का अधिनियमन जो अपात्र व्यक्तियों को समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने से रोकता है आदि शामिल है। इन संशोधनों ने व्यावहारिक चुनौतियों का समाधान किया, प्रावधानों को स्पष्ट किया, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया और विभिन्न कानूनी मुद्दों को संबोधित किया, जिसने दिवाला समाधान प्रक्रिया की प्रभावशीलता को मजबूत किया है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई, संहिता के तहत नियामक) ने नियमों के माध्यम से प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, विलंबन को कम करने और कारपोरेट देनदार की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने का प्रयास किया है।

(ख): राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) ने कारपोरेट विवादों का तेजी से समाधान करने और देश में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये निकाय कारपोरेट व्यवसायों के दिवाला के समाधान करने में, न केवल तेज़ प्रक्रिया के मामले में बल्कि पिछली व्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर प्राप्ति दर में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

(ग): वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा प्रदान की गई पूंजीगत व्यय/निवेश (2020-21 से 2023-24) के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत जारी विशेष सहायता (ऋण) का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

पूंजीगत व्यय/निवेश 2020-21 से 2023-24 तक के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना के तहत राज्यों को जारी की गई निधियां

(करोड़ रुपये और करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (06.12.2023 की स्थिति के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश*	688.00	501.79	6,105.56	-
2	अरुणाचल प्रदेश	232.97	371.19	1,564.10	992.49
3	असम	450.00	600.00	4,300.14	2,841.21
4	बिहार	843.00	1,246.50	8,455.85	6,135.54
5	छत्तीसगढ़	286.00	423.00	2,941.97	2,019.78
6	गोवा	97.66	111.04	572.75	332.35
7	गुजरात	285.00	432.00	4,045.82	2,336.62
8	हरियाणा	91.00	135.00	1,267.00	679.25
9	हिमाचल प्रदेश	533.00	800.00	650.80	644.36
10	झारखंड	277.00	246.00	2,964.32	1,693.19
11	कर्नाटक	305.00	451.50	3,399.35	2,538.04
12	केरल*	81.50	238.50	1,902.74	-
13	मध्य प्रदेश प्रदेश	1,320.00	1,512.36	7,360.20	5,325.60
14	महाराष्ट्र	514.00	771.73	6,744.16	3,457.61
15	मणिपुर*	317.16	212.85	467.22	-
16	मेघालय	200.00	281.20	1,049.02	555.43
17	मिजोरम	200.00	299.99	297.50	487.55
18	नागालैंड	200.00	300.00	504.16	462.30
19	ओडिशा	471.50	517.12	75.00	3,039.77
20	पंजाब*	296.50	223.50	798.22	-
21	राजस्थान	1,002.00	692.41	5,595.64	3,987.91
22	सिक्किम	200.00	300.00	551.36	271.66
23	तमिलनाडु	-	505.50	4,011.27	2,643.65
24	तेलंगाना	358.00	214.14	2,500.98	1,140.84
25	त्रिपुरा	300.00	118.54	349.79	258.77
26	उत्तर प्रदेश	976.00	1,483.00	7,940.50	12,458.43
27	उत्तराखंड	675.00	263.92	1,124.01	785.78
28	पश्चिम बंगाल	630.00	933.00	3,655.92	5,015.58
कुल		**11,830.29**	**14,185.78**	**81,195.35**	**60,103.69**

*राज्य ने योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता मानदण्डों को पूरा नहीं किया है।